THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.
दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि०,
डी.सी.1, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, नेहरू बालोद्यान के सामने, टोंक रोड़, जयपुर–302015

क्रमाकः आरएससीबी / परिचालन / 2019–20 / 1273 — दिनांकः 17.05.2019

प्रबन्ध निदेशक,
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,
..................................(समस्त)

विषयः– सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 की क्रियान्विति के क्रम में।

संदर्भः– कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर का पत्र दिनांक 17.05.2019

महोदय,

राज्य सरकार के निर्देशानुसार अल्पकालीन फसली ऋण व्यवस्था को ऑन–लाईन किये जाने के लिये "**सहकारी फसली ऋण पोर्टल**" पर पंजीयन एवं आधार आधारित अभिप्रमाण के पश्चात् DMR के माध्यम से फसली ऋण वितरण हेतु "**सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019**" सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को इन निर्देशों के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त योजना का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जावे। इस योजना के लागू होने के पश्चात् पैक्स / लैम्प्स के माध्यम से वितरित होने वाले फसली ऋण इसी योजना के निर्देशानुसार पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाईन वितरित किये जावेंगे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना का क्रियान्वयन पैक्स / लैम्प्स एवं बैंक शाखा स्तर से किया जाना अपेक्षित है अतः सभी प्रबन्ध निदेशकगण बैंक स्तर से क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि योजना का क्रियान्वयन सुगमता पूर्वक राज्य सरकार के निर्देशानुसार हो सके।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(इन्दर सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमाकःआरएससीबी / परिचालन / 2019–20 / 1274 — दिनांकः 17.05.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव(सहकारिता), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
5. अध्यक्ष / प्रशासक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., ... (समस्त)
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड, ... (समस्त)
8. उप रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, ... (समस्त)
9. जन सम्पर्क अधिकारी, कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड़ करने एवं राज्य स्तर पर प्रचार–प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
10. महाप्रबन्धक(आ.वि.) / (ईडीपी), शीर्ष बैंक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
11. उप महाप्रबन्धक, ...अनुभाग, शीर्ष बैंक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक, शीर्ष बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय .... (समस्त)
13. अध्यक्ष / व्यवस्थापक, पैक्स / लैम्प्स, ...(समस्त)
14. जनसम्पर्क अधिकारी, शीर्ष बैंक, प्रधान कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शीर्ष बैंक स्तर से योजना का प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।
15. गार्ड फाईल।

प्रबन्ध निदेशक

सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019

("**सहकारी फसली ऋण पोर्टल**" पर पंजीयन एवं आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात DMR के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु)

दिशा–निर्देश

राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण के संबंध में जारी सहकारी साख नीति दिनांक 11 जुलाई, 2018 एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.03.2019 के संदर्भ में फसली ऋण वितरण कार्यक्रम में स्थानीय विवेकाधीनता को समाप्त कर एकरूपी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिकोण से किसानों को फसली ऋण आधार आधारित अभिप्रमाण के पश्चात् Digital Member Register (DMR) के माध्यम से वितरित किया जाना अपेक्षित है। सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया में किसान से आवेदन–पत्र प्राप्त करने से लेकर नाबार्ड से पुनर्भरण प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को on-line किया जाना है। इसी क्रम में राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों से विचार–विमर्श उपरान्त राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु सहकारी फसली ऋण पोर्टल सृजित किया गया है जिस पर पंजीयन एवं आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात् DMR के माध्यम से फसली ऋण वितरण किया जायेगा। इस संबंध में केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स / लैम्प्स) के लिये

निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. <u>सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन:</u>

(i) पोर्टल पर पंजीयन हेतु किसान को समिति का **सदस्य होना आवश्यक** होगा।

(ii) समिति की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति से फसली ऋण प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम **निर्धारित आवेदन–पत्र** के अनुसार आवश्यक सूचनाऐं भरकर संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के बी.सी. ई–मित्र पर जाकर **पंजीयन (Registration) की कार्यवाही** सम्पादित करनी होगी।

(iii) **निर्धारित आवेदन–पत्र** संबंधित सहकारी बैंक की शाखा/ग्राम सेवा सहकारी समिति से **निःशुल्क** प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन–पत्र की प्रति संलग्न है।

(iv) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सहित आधार नंबर/भामाशाह नंबर उपलब्ध करवाये जाने पर पंजीयन हेतु समिति/ई मित्र द्वारा आवेदक का **आधार आधारित अभिप्रमाणन** किया जायेगा।

(v) सर्वप्रथम आवेदक किसान के आधार नंबर/भामाशाह नंबर से ऋण माफी योजना, 2018 एवं ऋण माफी योजना, 2019 के ऋण माफी पोर्टल पर उपलब्ध **रिकार्ड का परीक्षण** किया जायेगा।

(vi) यदि आवेदक उक्त परीक्षण में **अवधिपार ऋणी सदस्य** के रूप में वर्गीकृत है तो ऐसे आवेदक किसान का पंजीयन पोर्टल पर नहीं किया जायेगा।

(vii) ऐसे **अवधिपार सदस्यों को** समिति से फसली ऋण प्राप्त करने हेतु समिति में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनपर **विभागीय निर्देशानुसार ऋण स्वीकृति हेतु पृथक से विचार** किया जायेगा।

(viii) ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा ई–मित्र पर आवेदन–पत्र का पंजीकरण हो जाने के पश्चात् आवेदक को कम्प्यूटर जनित प्राप्ति रसीद दी जावेगी जिस पर **यूनिक आवेदन पत्र क्रमांक** (Unique Application Number) अंकित होगा जो कि इस बात का प्रमाण होगा कि आवेदक का आवेदन–पत्र समिति में पंजीकृत हो चुका है। इस **यूनिक आवेदन पत्र क्रमांक का उपयोग आवेदक द्वारा भविष्य में समिति/बैंक से व्यवहार/सेवा हेतु किया जा सकेगा।**

(ix) इस संबंध में आवेदक के **मोबाईल फोन पर पंजीकरण से संबंधित मैसेज** भी जारी किया जावेगा।

(x) इस सम्पूर्ण पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु आवेदक को संबंधित समिति अथवा **ई–मित्र को रूपये 25/– पंजीकरण शुल्क** देना होगा।

(xi) यह **पंजीकरण सुविधा** आवेदक को स्वयं की समिति में अथवा संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक के बी.सी. ई–मित्र केन्द्र पर उपलब्ध रहेगी।

(xii) अल्पकालीन फसली ऋण साख नीति के अनुसार प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा **समितिवार भौतिक लक्ष्यों का वितरण** किया जाना अपेक्षित है।

(xiii) **समितिवार भौतिक लक्ष्य निर्धारण हेतु** समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या, ऋण माफी योजना के उपरान्त समिति का एनपीए स्तर एवं समिति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जायेगा।

(xiv) लक्ष्य निर्धारण करते समय इस तथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि जिन किसानों द्वारा **नियमित रूप से ऋण का चुकारा** किया जा रहा है, ऐसे सदस्यों को **निर्धारित पात्रतानुसार भविष्य में भी ऋण** प्राप्त होता रहे।

(xv) नये सदस्यों के लिये ऋण वितरण के भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते समय बैंक द्वारा ऐसी समितियों को प्राथमिकता से लक्ष्य दिये जायेगें जिनके द्वारा वर्तमान में ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है अथवा कम किया जा रहा है। ऐसी समितियों में प्रबन्धकीय व्यवस्थाऐं सुचारू करने के उपरान्त ही ऋण वितरण का कार्य सम्पादित कराया जावे।

2. <u>सदस्य की अधिकतम साख सीमा (Maximum Credit Limit)</u>:

(i) अल्पकालीन फसली ऋण की अधिकतम सीमा एवं ब्याज दर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं शीर्ष बैंक द्वारा तय नीति के अनुसार संचालित होगी।

(ii) सदस्य का आवेदन–पत्र पंजीकृत हो जाने के पश्चात् सदस्य–वार अधिकतम साख सीमा जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसलवार निर्धारित मापदण्ड, आवेदक की भूमि का आकार एवं आवेदक द्वारा बोई जाने वाली फसलों के आधार पर खरीफ तथा रबी फसल हेतु पृथक–पृथक **सहकारी फसली ऋण पोर्टल** पर स्वतः सृजित होगी।

(iii) संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा स्वयं की ID से **अधिकतम साख सीमा के संबंध में अग्रिम कार्यवाही पोर्टल पर की जा सकेगी।**

(iv) समिति व्यवस्थापक द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत सदस्यों की सृजित अधिकतम साख सीमा समिति के **संचालक मण्डल के निर्णयानुसार** व्यवस्थापक द्वारा पात्रता के आधार पर स्वीकृत की जावेगी।

(v) व्यवस्थापक द्वारा सदस्यों की पात्रता के अनुसार **अधिकतम साख सीमा स्वीकृत कर** बैंक की संबंधित शाखा को on-line प्रेषित की जावेगी।

(vi) जिन आवेदकों की अधिकतम साख सीमा समिति द्वारा स्वीकृति योग्य नहीं पायी जाती है, उनके संबंध में **व्यवस्थापक द्वारा कारण अंकित करते हुये असहमति पोर्टल पर** प्रस्तावित की जावेगी।

(vii) MCL स्वीकृति/अस्वीकृति की समस्त कार्यवाही समिति को 10 दिवस में पूर्ण करनी होगी। 10 दिवस में समिति द्वारा कोई स्वीकृति अथवा असहमति प्रेषित नहीं की जाती है तो पोर्टल पर पंजीकृत समस्त आवेदकों की अधिकतम साख सीमा समिति स्तर से स्वीकृत मानते हुये शाखा द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(viii) समिति द्वारा जिन पंजीकृत आवेदकों की अधिकतम साख सीमा के संबंध में असहमति प्रस्तावित की जाती है, उनके परीक्षण के संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक शाखा स्तर पर **Grievance Redressal Authority (GRA)** की नियुक्ति की जावेगी।

(ix) GRA द्वारा प्रकरणों का परीक्षण कर **समिति को युक्तियुक्त अभिशंषा** प्रेषित की जावेगी। तद्नुसार समिति द्वारा इन प्रकरणों में अधिकतम साख सीमा स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

(x) उक्त प्रकार से स्वीकृत **अधिकतम साख सीमा पांच वर्ष के लिये मान्य** होगी।

3. <u>केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा समिति की अधिकतम साख सीमा **(Maximum Credit Limit)** स्वीकृति</u>:

(i) सदस्य किसानों की स्वीकृत अधिकतम साख सीमा के आधार पर समिति अपनी अधिकतम साख सीमा संबंधित बैंक से स्वीकृत करवा सकेगी।

(ii) समिति अपनी अधिकतम साख सीमा स्वीकृत कराने हेतु नियमानुसार बैंक शाखा को निवेदन करेगी। यह समस्त कार्यवाही संचालक मण्डल के निर्णयानुसार व्यवस्थापक द्वारा on-line सम्पादित की जावेगी।

(iii) समिति से on-line आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित **शाखा प्रबन्धक द्वारा परीक्षणोपरान्त समिति की अधिकतम साख सीमा स्वीकृति** हेतु अभिशंषा सहित बैंक के प्रबन्ध निदेशक को प्रेषित की जायेगी।

(iv) प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियमानुसार समिति की अधिकतम साख सीमा स्वीकृत कर संबंधित शाखा के माध्यम से समिति को प्रेषित की जावेगी।

4. <u>दस्तावेजीकरण **(Documentation)**</u>:

(i) बैंक द्वारा समिति की अधिकतम साख सीमा स्वीकृति उपरान्त समिति द्वारा जिन सदस्यों की अधिकतम साख सीमा स्वीकृत की गयी है उन सदस्यों को ऋण अग्रिम से पूर्व **आवश्यक प्रपत्रों का दस्तावेजीकरण** करवाया जायेगा। इस हेतु सदस्य को वचन–पत्र, ऋण–पत्र (बॉण्ड–पत्र) एवं प्रतिभूति पत्र हस्ताक्षरित कर समिति में जमा कराने होगें।

(ii) समिति के पुराने ऋणी सदस्य जिनके द्वारा नियमानुसार दस्तावेजीकरण की कार्यवाही पूर्व में सम्पादित की जा चुकी है उन्हें पुनः दस्तावेजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) इसी प्रकार **दस्तावेजीकरण की कार्यवाही समिति एवं बैंक के मध्य नियमानुसार** सम्पादित की जावेगी।

5. स्वीकृत ऋण राशि का भुगतानः

(i) दस्तावेजीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् समिति के आवेदन पर किसान की स्वीकृत अधिकतम साख सीमा में से बैंक में उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं निर्धारित पात्रतानुसार शाखा द्वारा ऋण स्वीकृत कर **भुगतान की कार्यवाही** की जायेगी।

(ii) इस हेतु किसान को बैंक की संबंधित शाखा/समिति/बी.सी. ई–मित्र में जाकर **आधार आधारित अभिप्रमाणन** करवाना होगा।

(iii) आधार आधारित अभिप्रमाणन के साथ ही पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजीकरण प्रपत्रों पर भी on-line हस्ताक्षर करेगा।

(iv) आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात् शाखा द्वारा सदस्य की अधिकतम साख सीमा में से बैंक द्वारा निर्धारित ऋण स्वीकृत कर **DMR में अंकित** किया जायेगा। Digital Member Register (DMR) बैंक सीबीएस पर PACS/LAMPS के ऋणी सदस्यों की ऋण से संबंधित विभिन्न जानकारियों से संबंधित शाखा स्तर पर संधारित होने वाला एक कम्प्यूटरीकृत दस्तावेज है जो कि प्रत्येक फसल चक्र पर वितरित फसली ऋण के लिये पृथक–पृथक तैयार किया जाता है।

(v) शाखा द्वारा उपलब्ध नगद संसाधनों के अनुसार समिति के सदस्यों को DMR से ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा एवं इसका **सदस्य के मोबाईल पर भी संदेश** दिया जायेगा।

(vi) समिति द्वारा नियमानुसार **समिति स्तर की हिस्सा राशि बैंक शाखा में जमा** करने के उपरान्त समिति को फसली ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

(vii) सदस्यों को ऋण राशि उपलब्ध करवाने से पूर्व नियमानुसार सदस्य की **हिस्सा राशि समिति में जमा करने की जिम्मेदारी समिति की होगी।**

(viii) यदि किसी सदस्य की नियमानुसार हिस्सा राशि जमा नहीं है अथवा कम जमा है तो ऋणी सदस्य द्वारा आवेदन में दी गयी सहमति के अनुसार संबंधित शाखा द्वारा किसान के पक्ष में स्वीकृत ऋण राशि में से नियमानुसार आवश्यक हिस्सा राशि की कटौति कर संबंधित **समिति एवं सदस्य के खाते में समायोजन** किया जा सकेगा।

(ix) इस हेतु समिति द्वारा सदस्यों को बैंक शाखा से ऋण उपलब्ध करवाये जाने से पूर्व सदस्यों की **समिति में जमा हिस्सा राशि की विगत पोर्टल पर अंकित करवानी होगी।**

(x) सदस्य की हिस्सा राशि समिति में जमा होने के बावजूद समिति द्वारा पोर्टल पर सदस्य की हिस्सा राशि अंकित नहीं करवाये जाने की स्थिति में सदस्य की **हिस्सा राशि शून्य मानते हुये स्वीकृत ऋण में से कटौति कर ऋण वितरण** की कार्यवाही की जायेगी एवं पूर्व में जमा हिस्सा राशि सदस्य को समिति द्वारा वापिस लौटानी होगी।

(xi) सदस्य स्वीकृत ऋण राशि **रूपे किसान डेबिट कार्ड** के माध्यम से **ATM** से प्राप्त कर सकेगा अथवा समिति में **FIG** के माध्यम से

प्राप्त कर सकेगा अथवा बैंक की संबंधित शाखा से **नकद आहरित** कर सकेगा।

(xii) सदस्य द्वारा ऋण राशि आहरित करने के दिनांक से आहरित राशि ऋण खाते में दर्ज होगी तथा **आहरित तिथि से किसान को ऋण राशि पेटे ब्याज का भुगतान करना होगा।**

6. ऋण राशि जमा उपरान्त पुनः ऋण प्राप्त करनाः

(i) ऋणी सदस्य अल्पकालीन फसली ऋण की **देय तिथि से पूर्व ऋण राशि जमा करवाने के लिये स्वतंत्र** होगा परन्तु बैंक द्वारा पुनः ऋण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

(ii) देय तिथि तक ऋण राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में ऋणी सदस्य **अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत** हो जायेगा एवं नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।

(iii) ऋणी सदस्य संबंधित बैंक की शाखा में ऋण राशि जमा करवा सकता है अथवा संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में FIG के माध्यम से ऋण राशि जमा करवाकर **कम्प्यूटर जनित रसीद** प्राप्त कर सकता है अथवा समिति में राशि जमा करवाकर **समिति की रसीद** प्राप्त कर सकता है।

(iv) ऋणी सदस्य द्वारा समिति में वसूली पेटे नकद राशि जमा करवाकर **समिति से रसीद प्राप्ति की दशा में** समिति व्यवस्थापक को उसी दिन वसूली की राशि बैंक शाखा में ऋणी सदस्य के ऋण खाते में जमा करवानी होगी। समिति द्वारा शाखा में विलम्ब से वसूली राशि जमा करवाने पर होने वाले **ब्याज की हानि की जिम्मेदारी समिति व्यवस्थापक** की होगी।

(v) ऋणी सदस्य की ऋण राशि जमा होने के उपरान्त समिति/बैंक द्वारा सदस्य को नियमानुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार **पुनः फसली ऋण की सुविधा** उपलब्ध करवायी जा सकेगी।

(vi) यह क्रम खरीफ – रबी फसल चक्र के अनुसार निरन्तर चलता रहेगा।

7. बैंकों के द्वारा शीर्ष बैंक/नाबार्ड से पुनर्भरणः

(i) भारत सरकार के निर्णयानुसार नाबार्ड द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को आधार स्तर पर वितरित ऋण (Ground Level Disbursement) के आधार पर शीर्ष बैंक के माध्यम से वर्तमान में 40 प्रतिशत रियायती दर पर पुनर्भरण दिया जा रहा है। बैंकों को इससे अधिक पुनर्भरण की राशि Economic Lending Rate पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

(ii) केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि आधार स्तर पर वितरित ऋण (Ground Level Disbursement) के तुरन्त पश्चात प्रतिदिन के आधार पर शीर्ष बैंक से रियायती दर पर पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु ड्रॉवल/क्लेम भिजवाया जावे ताकि स्वयं के मंहगी ब्याज दर के वित्तीय संसाधनों का उपयोग कम से कम अवधि के लिये हो एवं ब्याज की हानि से बचा जा सके। इसी प्रकार शीर्ष बैंक से भी अपेक्षित है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों से पुनर्भरण हेतु प्राप्त ड्रॉवल/क्लेम प्रतिदिन के आधार पर नाबार्ड को तत्काल पुनर्भरण हेतु प्रेषित किया जावे ताकि शीर्ष बैंक को स्वयं के मंहगी ब्याज दर के वित्तीय संसाधनों के उपयोग से ब्याज की हानि न्यूनतम हो।

(iii) प्रायः यह देखा गया है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा शीर्ष बैंक से पुनर्भरण प्राप्त करने में एवं शीर्ष बैंक के द्वारा नाबार्ड से पुनर्भरण प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, परिणामस्वरूप बैंकों को ब्याज की हानि होती है। यदि सम्पूर्ण व्यवस्था में हुई इस हानि का आंकलन किया जावे तो यह राशि करोड़ों रूपये में आंकी जायेगी। अतः इसका निदान आवश्यक है।

(iv) यदि पुनर्भरण की इस व्यवस्था को शाखा में संधारित पैक्स के लिमिट खाते/DMR से जोड़ दिया जावे तो on-line व्यवस्था के तहत प्रतिदिन के आधार पर पुनर्भरण प्राप्त किया जाना संभव है एवं बैंकों को ब्याज की हानि से बचाया जा सकता है।

(v) इसी प्रकार राजस्थान सरकार/भारत सरकार से ब्याज अनुदान पुनर्भरण व्यवस्था को शाखा में संधारित पैक्स के लिमिट खाते/DMR से जोड़कर कारगर बनाया जा सकता है।

8. स्पष्टीकरण एवं निर्वचन:

(i) अल्पकालीन फसली ऋण वितरण व्यवस्था को on-line करने की व्यवस्था के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण अल्पकालीन फसली ऋण नीति 2018 के प्रावधानों के संदर्भ में किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निवारण के संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

9. समस्याओं के निराकरण हेतु नियंत्रण कक्ष:

(i) सहकारी ऋण माफी पोर्टल पर पंजीयन एवं ऋण वितरण प्रकिया से संबंधित तकनीकि समस्याओं के निराकरण हेतु श्री सी.एम. भारद्वाज, महाप्रबन्धक(ईडीपी) एवं (लेखा एवं वित्त) नोड़ल

अधिकारी होगें। श्री आर.के.पाटनी, उप महाप्रबन्धक, बैंकिंग से संबंधित कार्य के लिये सहायक नोड़ल अधिकारी होगें एवं तकनीकी समस्या निराकरण के लिये श्री विनोद कुमार मिश्रा, वरिष्ठ प्रबन्धक(ईडीपी) सहायक नोड़ल अधिकारी होगें। शीर्ष बैंक स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी। नियंत्रण कक्ष में पैक्स, ई–मित्र एवं राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त होने वाली समस्याओं को संग्रहित कर नोड़ल अधिकारी के माध्यम से संबंधित अनुभागों से विचार–विमर्श उपरान्त इनका निवारण करवाया जायेगा।

(ii) श्री पी.सी.जाटव, महाप्रबन्धक(आ.वि.) एवं (नि.प.) योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोड़ल अधिकारी होगें। श्री पी.के. नाग, उपमहाप्रबन्धक(आ.वि.), सहायक नोड़ल अधिकारी होगें।

(iii) इसी प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे।

10. प्रचार–प्रसारः

(i) नवीन व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता के मध्य–नजर विभागीय स्वीकृति उपरान्त इस हेतु प्रचार–प्रसार फण्ड का सृजन किया जायेगा। शीर्ष बैंक एवं सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक इस फण्ड में अंशदान करेगें।

उक्त योजना सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

– 0 –

17/5/19

(वी. राम)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर